

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-13 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. प्रभू पुत्र राम बक्श नि० रामापुर भगाही बजर डिहवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-201/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. अनुसुईया पत्नी रमेश नि० नैनजोतिया थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-206/21, 02. समेश खटिक पुत्र भगवत नि० नैनजोतिया थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. विजय सोनकर पुत्र इन्दर सोनकर नि० वनपुरवा खिरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-241/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 22.07.2021

जालसाजी करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस ने मु०अ०सं०-1004/20, धारा 420,467,468,471,504,506 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बजरंगी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर वादिनी श्रीमती राजपति सिंह पत्नी स्व० सूर्यपाल सिंह नि० मलथुवा सहजोत थाना को० देहात जनपद गोण्डा की जमीन बैनामा करा लिया था। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना को० नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. बजरंगी सिंह पुत्र स्व० रामप्रताप सिंह नि० मलथुवा सहजोत थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-1004/20, धारा 420,467,468,471,504,506 भादवि थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० नागेश्वरनाथ पटेल मय टीम।

